पठित नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अनुसार यह सभा उस रीति से जैसे कि सभापति निदेश दें सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को 2 अप्रैल, 1970 को श्री शेरखां के राज्य सभा के सदस्य न रहने के कारण खाली हुए स्थान पर, ऐसी अवधि के लिए जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, सदस्य होने के लिये निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The programme of election will be published in the Parliamentary Bulletin.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI BABUBHAI M. CHINAI

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the following letter dated the 30th April, 1970, has been received from Shri Babubhai M. Chinai :—

"I was planning to come to Delhi to attend the Rajya Sabha but due to mild heart trouble, I am bed-ridden. * * * May, I therefore, request you kindly to request the Rajya Sabha to grant me leave of absence from attending this Session ?"

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Babubhai M. Chinai for remaining absent from all meetings of the House during the current session ?

(*No hon. Member dissented*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANCE BILL, 1970

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Finance Bill, 1970, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 6th May, 1970.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

RE CERTAIN REQUESTS MADE BY SHRI RAJNARAIN

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमको आपसे एक अर्ज करनी है। अर्ज यह है कि, . . .

وائس چیرمین (شری اکبر علی خاں) : کیا آپ نے اجازت لی ہے ?

†[**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान)** : क्या आपने इजाजत ली है ?]

श्री राजनारायण : हां, हां, हमने उनको लिख कर भेज दिया था, टेलीफोन से कह दिया

وائس چیرمین (شری اکبر علی خاں) : انہوں نے کیا کہا ?

†[**(उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान)** : उन्होंने क्या कहा ?]

श्री राजनारायण : हमारी उनसे मुलाकात तो होती नहीं, उन्होंने क्या कहा है कैसे जानूं। मुझे सेक्रेटरी साहब ने खबर दी कि प्रेसीडेन्ट से कहा अगर आप चाहते हैं तो वह न कहे और अंततोगत्वा आप पर डिपेन्ड करता है।

وائس چیرمین (شری اکبر علی خاں) : جو مسئلہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اتنا امپورٹینٹ تو نہیں ہے –

†[ ] Hindi transliteration.

†[**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान)** : जो मसला आप उठाना चाहते हैं, इतना इम्पार-टेन्ट तो नही है ।

श्री राजनारायण : हमारे लिये है । अपना अपना नुक्ते नज़र है ।

وائس چیرمین (سری اکبر علی خاں) : ایک منٹ میں کہہ دیجئے ۔

†[**उपसभाध्यक्ष श्री अकबर अली खान)** : एक मिनट मे कह दीजिए ।]

श्री राजनारायण : पहली बात तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हू कि देखिये मैं केवल कोई अपनी मुसीबत से अस्पताल में नही हूं । यह मुसीबत जो मेरे ऊपर इस समय है, विपदा है, वह कांग्रेस सरकार के कारण है ।

وائس چیرمین (شری اکبر علی خاں) : یہ تو آپ کہہ چکے ہیں ۔

†[**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान)** : यह तो आप कह चुके हैं ।]

श्री राजनारायण : नही नही, मैंने प्रेसीडेन्ट से एक रिक्वस्ट किया आपसे भी अपील कर रहा हूं कि जैसे एक मशीन लगी रहती है, प्रेसी-डेन्ट के यहां, हाउस की प्रोसीडिंग्स सुनने के लिये उसी तरह से जब तक मैं अस्पताल मे रहू, आप हमारे लिये हाऊस की कार्यवाही को सुनने के लिए एक व्यवस्था करायें; क्योंकि इस सरकार ने हमारे पैर पर चोट पहुंचाई है, जिसके कारण मैं लगड़ा हुआ हू और जिस कारण मैं अस्पताल में पड़ा हुआ हू । कोई कुदरती क़हर हमारे ऊपर नही है, कोई प्राकृतिक कहर हमारे ऊपर नही है । यह नेचुरल नही है, यह सरकार के कारण हुआ है । इसलिये हम समझते हैं कि हम पूरा हक़ रखते हैं कि आपके जरिये मैं यह अदब के साथ अर्ज करू कि हमारे लिए भी मशीन का इंतजाम हो ताकि हम सदन की कार्यवाही बाक़ायदा अस्पताल मे रहते हुए सुन सकें और यह कोई मुश्किल नही है; क्योंकि वाइस प्रेसीडेंट के यहा मशीन है, प्रेसीडेन्ट के यहा मशीन है, वे लोक सभा, राज्य सभा दोनों की कार्यवाही सुना करते है । हमको आप राज्य सभा को सुनने की व्यवस्था करे और डाक्टर जब हमको इजाजत देते है, तो यहां तक आने और यहा से अस्पताल तक पहुचाने की व्यवस्था भी आप करायें ।

तीसरी बात, जिसके बारे मे . . .

وائس چیرمین (شری اکبر علی خاں) : گیٹ سے تو آپ کو لے کر آتے ہیں ۔

†[**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान)** : गेट से तो आपको ले कर आते हैं ।]

श्री राजनारायण : यानी आप समझते है वह काफी है । ऐसी मत समझिये । ऐसा हुजूर न समझें कि यह वाक्य हमारे ही साथ होकर अंत हो जायेगा, इसकी बारी आपकी भी आ सकती है, सरकार के किसी मंत्री की भी आ सकती है । मैं तो आपके लिये, आगे आने वाले जमाने को माग कर, देख कर एक सहुलियत पैदा करने के लिये इन बातों को कह कर रहा हूं ताकि आपको इन मुसीबतो का सामना न करना पड़, जिसको हम करते रहे हैं ।

दूसरी बात, जिसके लिये मैं आज आया—डाक्टरों ने मुझे कई बार कहा आप जा सकते है, इसलिये मैं आया—मुझे यह कहना है श्रीमन्, कि श्रीमती गिरी जी के मसूढ़े में दर्द है, इसलिये प्रेसिडेन्ट का जो टूर का प्रोग्राम था, जो उनका दक्षिण के राज्यों का 26 मई तक शिड्यूल्ड प्रोग्राम था; क्योंकि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि दक्षिण राज्यो का गर्मी मे हर साल दौरा करना है, तो 26 मई तक उनका कार्यक्रम निश्चित था, लेकिन वह 9 मई को ही दिल्ली लौट आ रहे है, क्यो ? क्योंकि श्रीमती गिरी के मसूढ़े मे, दांत मे, दर्द है । मेरी सहानुभूति है, दर्द उनके न हो, ऐसा मैं चाहता हू, मेरी प्रार्थना है श्रीमती गिरी

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री राजनारायण]

की तंदुरुस्ती में तनिक भी कमी न आए। मगर राष्ट्रपति की अपनी एक अलग हस्ती है, वह राष्ट्रपति हैं, मगर श्रीमती गिरी उनके राष्ट्रपति होने के नाते उन तमाम सहूलियत को नहीं हासिल कर सकती हैं, जो राष्ट्रपति को. .

وائس چیئرمین (شری اکبر علی خاں) : آپ بیٹھ جائیے ?

†[उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठ जाइये।]

श्री राजनारायण : मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति गिरी साहब भूटान गये, वहा भी श्रीमती गिरी के मसूढ़े दर्द हुआ, जिससे एक दिन का प्रोग्राम कैन्सिल हुआ जिसका नतीजा यह हुआ श्रीमन्, कि पकज शर्मा ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार का निधन हो गया। सरकार को लज्जित होना चाहिये कि सरकार ने आज तक पंकज के परिवर को एक पैसा देने की घोषणा नहीं की। मैं चाहता हू, मैं अपने इस जज़बात का इजहार करू कि पकज शर्मा जो एक मेधावी, प्रतिभाशाली पत्रकार था, उसके दुःखी परिवार के प्रति इस सदन की समवेदना जाये और यह सरकार उनके परिवार के लिये कोई समुचित व्यवस्था करे, ताकि उनके निधन से जो मुसीबत उनके ऊपर आई है, उसको वह आसानी से पार कर सकें।

दूसरी एक बात मैं यह कहना चाहता हूं . . .

श्री नेकी राम (हरियाणा) : सभापति जी, आपने एक मिनट का समय दिया था। अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया।

श्री राजनारायण : मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय का जो यह कार्यक्रम था दौरे का, वह सरकारी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का पूर्व से शिड्यूल्ड कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर अगर कोई असर होता है, उस पर सारे देश का ध्यान जा रहा हो . . .

†[ ] Hindi transliteration.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Sir, on a point of order.

श्री राजनारायण : * * *

SHRI BRAHMANANDA PANDA : On a point of order. Mr. Rajnarain's reference is based on a news item in the press. It is not a Rashtrapathi Bhavan's Bulletin or some source from Rashtrapathi Bhavan from which we can know why the Rashtrapathi cancelled his tour to Kerala. The newspaper reports have said that Mrs. Giri has got some gum trouble. I do not think Mr. Rajnarain should dilate on it and say that the President is at fault or is guilty of coming back because of this thing. We do not know which is correct and which is not. He should not develop so many things on a mere press report.

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra) : I am also on a point of order, Sir, My point of order is whether this House this way can discuss the behaviour of the President. My submission to this House is that this House cannot that way discuss the behaviour of the President If Mr. Rajnarain is having some allegations against the President, he could have his own substantive motion and there could be a discussion ; but otherwise, only on the basis of some report to discuss the behaviour of the President will be most improper. I would like to appeal to Mr. Rajnarain not to take or exploit the generosity of the Chairman who gave this oportunity to him in spite of the fact that it is nowhere included on the List of Business today. I would appeal to him not to exploit the situation that way. I highly object to this sort of criticism against the President by Mr. Rajnarain. That is my point of order. And if it is not fit and proper, I am here to demand that the allegations made by Mr. Rajnarain should be expunged from the records of this House.

श्री बी० बी० राजू (आंध्र प्रदेश) : मेरी दरख्वास्त यह है कि अभी मेरे साथी ने जो यह बात कही कि प्रेजिडेंट के कंडक्ट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे मे और उनके मूवमेंट के बारे मे हमें यहा पर कुछ नहीं कहना चाहिये, उसकी मैं ताइद करता हूं।

***Expunged as ordered by the Chair.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि जो शख्स अपने को यहा पर डिफेन्ड नही कर सकता है, उसके खिलाफ इस हाउस मे कुछ इल्जाम लगाना अखबारो की रिपोर्ट के ऊपर, यह हमारे हाउस की डिगनिटी के लिए कोई अच्छी बात नही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से आपसे दरख्वास्त करना चाहता हू कि मैं यहा पर कुछ सीखने के लिए आया हूं स्टेट से और इसलिए मैं आपसे अदब के साथ दरख्वास्त करता हू . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You are a very seasoned politician, Mr. Raju.

श्री वी० वी० राजू : मैं आपसे अदब के साथ दरख्वास्त करता हू कि इस बात की चर्चा यहा पर नही होनी चाहिए। जैसा अभी श्री धारिया साहब ने सजेशन दिया है कि इस चीज को एक्सपंज कर दिया जाय, तो यह बेहतर होगा कि प्रेजिडेंट के मुताल्लिक जो कुछ कहा गया है, वह वह निकाल दिया जाय।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : It is for the Chair to decide.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप हमारी बात पहले सुने। इस बारे में कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नही उठ सकता है। आप बैठ जाइये। और सविधान के अनुच्छेद को पढिये। मैं आपकी सेवा मे इसको पढना चाहता हू

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please sit down. I think the permission of the Chair was given was also conditional because the whole thing was not known After Mr. Dharia, Mr Raju and Mr. Panda have raised certain points, I rule that there should be no further discussion on that point and we go to the programme of the day.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपकी रूलिग को चैलेन्ज करता हूं, मैं आपकी रूलिग को चैलेन्ज करता हू और मैं सविधान के अनुच्छद 79 को उठा कर पढता हू।

SHRI M. M. DHARIA: I am again on a point of order. May I know whether any Member of the House . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पहले आपको हमारा लाजिक सुनना चाहिये और दूसरो के प्वाइट आफ आर्डर को नही सुनना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I have heard you, Mr. Rajnarain. You are not well.

SHRI RAJNARAIN: Exactly you did not hear me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You can take any proper remedy against my ruling. You have every right but now I have given my ruling and you have to abide by it.

SHRI RAJNARAIN : In Parliamentary practice I have every right to differ from the ruling of the Chair.

SHRI M. M. DHARIA : On a point of order. Mr. Rajnarain openly chllenges your ruling itself. I can understand that there may be differences and we may differ from your ruling but is that ruling to be challenged? This is not the way of challenging a ruling

श्री राजनारायण : श्रीमन्,आप कृपा कर के पहले मुझे सुने।

SHRI M. M. DHARIA: He is defying the ruling of the Chair.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह क्या है आप हमारी बात क्यो नही सुनते हैं। यहा पर धारिया की मोनोपली नही है। आपको हमारे लाजिक को सुनना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप मेहरबानी करके बैठ जाइये और आराम करिये।

श्री राजनारायण : क्या हम यहा पर बैठने के लिए आये है। आपको पहले हमारे लाजिक को सुनना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप मेहरबानी करके बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, धारिया ने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया और उस पर आपने जो रूलिंग दी है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें मौका दिया जाना चाहिये और हमारे लाजिक को सुना जाना चाहिये । यह कौन सी संसदीय प्रणाली है ।

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठ जाइए ।

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री धारिया जी ने जो बात उठाई है, मैं समझता हूं वह बहुत महत्व की है और उस पर आपने अपनी रूलिंग नहीं दी है कि राष्ट्रपति के किसी बात पर इस सदन पर चर्चा हो अथवा न हो ।

AN HON. MEMBER: He has given a ruling.

SHRI LAL K. ADVANI: He merely said that there should be no further discussion on this point but there was no ruling as to whether in the future issues pertaining to the Rashtrapati's programme or cancellation of this programme, may be raised in this manner or not.

मेरा निवेदन यह है कि उपयुक्त यह होता कि श्री राजनारायण जिस प्वाइन्ट आफ आर्डर की युक्ति के खिलाफ बोलना चाहते है, उसके लिए उन्हें आप अवसर दे देते फिर इस बारे में आपको जो निर्णय देना हो दे देते, मुझे विश्वास है कि श्री राजनारायण जी को भी वह स्वीकार होगा ।

मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में सामान्यतः राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो, यह उपयुक्त बात नहीं है । लेकिन जो दूसरी बात श्री राजनारायण जी ने कही और जिसके बारे में आपने अनुमति दी है वह है श्री पंकज शर्मा के बारे में । मैं समझता हूं कि इस सदन में और सब जगह इस बारे में बड़ी चिन्ता है । एक बड़ी भारी घटना हो गई, जिस घटना के लिए भूटान सरकार ने उनके परिवार वालों को कुछ सहायता दी है । लेकिन हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी गई है । यह एक बड़े दुःख की बात है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनकी बात को सुनें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Advani, when there is such a matter, it has to be brought by a special motion and with the consent of the Chair. Now I do not want to rule on that special point at this stage because that will be a separate issue.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा लाजिक भी तो सुनिये । हम पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में नये नहीं हैं और हम पार्लियामेंट प्रैक्टिस को जानते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I know you are a veteran.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप हमारे लाजिक को तो पहले सुने वह गलत होगा तो आप कह सकते हैं कि वह गलत है ।

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh): On a point of order. When you are allowing others, you should also allow me. My point of order is when the Chairman directs and gives a ruling, there should not be any further discussion. Is he entitled to continue the discussion on this subject?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : श्रीमन्, पहले एक प्वाइन्ट आफ आर्डर तो खत्म होने दीजिये । अगर इसी तरह से प्वाइन्ट आफ आर्डर होंगे, तो किसी का भी फैसला नहीं हो सकेगा ।

(Interruptions)

SHRI KOTA PUNNAIAH: Sir, ...

श्री राजनारायण : श्रीमान्, पहले हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर है और दूसरों का प्वाइन्ट आफ आर्डर कैसे हो सकता है ।

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठ जाइये

श्री राजनारायण : श्रीमन् . . .

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I have heard you but in order to preserve the parliamentary decorum sometimes I have to be a little lenient. Please help and cooperate with me to see that parliamentary decorum is also kept up and so far as possible Members are given some opportunity.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं इस बात को कतई मानता हूं कि प्रेसिडेन्ट के कंडक्ट को बगैर सबस्टेन्टिव मोशन लाये, डिसकस नहीं किया जा सकता है । यह बात बिलकुल ठीक है और मैं उसको मानता हूं । मैं इस बात को जानता हूं कि प्रेसिडेंट के कंडक्ट को कहां पर डिसकस नहीं किया जा सकता है और मैं प्रेसिडेंट के कंडक्ट को डिसकस करने नहीं जा रहा हूं । मैंने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है, उसके बारे में बतलाने जा रहा हूं । कृपया आप अंग्रेजी की किताब निकालें और मैं हिन्दी के संविधान को पढ़ना चाहता हूं कि आर्टिकल 79 में "संसद्" के बारे में क्या लिखा है । संसद् : संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य परिषद् और लोक सभा होंगे । श्रीमन्, संसद् का एक अंग है राष्ट्रपति . . .

उपसभाध्यक्ष श्री अकबर अली खान : आप पढ़ दीजिये

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हम लायर हैं, हम कान्स्टीट्यूशनल ला को जानते हैं और उसको डिसकस कर चुके हैं । (*Interruptions.*) राष्ट्रपति सदन का एक अंग है और उसी प्रसंग में राष्ट्रपति को रेफर किया जा सकता है । क्या आपको उस पर दुख नहीं है कि * * * *** आप उस पर खुशी का इजहार करेंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You have said that.

श्री राजनारायण : हम इस तरह से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए—मैं आपसे अदब के साथ अर्ज करूं—आप रूलिंग न दे दिया करें । इस तरह से रूलिंग की महिमा और गरिमा घटती है । इसलिए हमको मजबूर होकर आपकी रूलिंग को चेलेंज करना पड़ा, क्योंकि हम प्रेसिडेंट के कण्डक्ट को डिसकस नहीं करने जा रहे थे । बिना सुने हुए आपसे कह दिया । आज तमाम अखबार रंगे हैं । * * *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Now we will take up the business. Mr. Bhakt Darshan.

SHRI M. M. DHARIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, the allegations made by Mr. Rajnarain against Mr. Giri, how can they form part of the records? I had raised a point of order and it has been argued. It is for you to decide on the point of order raised by me. If the conduct of the President is to be discussed in the House it should be on some substantive motion and not otherwise. Our rules are very categoric and I shall draw your attention to Rule 238 of the Rules of Procedure and Conduct of Business which is very clear. I am referring to Rule 238(5).

SHRI RAJNARAIN : Sir, . . .

SHRI M. M. DHARIA: Sir, I am not going to yield to interruptions by Mr. Rajnarain. (*Interruptions*) Mr. Rajnarain should understand . . .

SHRI RAJNARAIN: It is not President's conduct.

SHRI M. M. DHARIA: You should kindly examine the whole issue. I do not want that you should give a ruling immediately but you please examine the issue and then I would like

***Expunged as ordered by the Chair.

[Shri M. M. Dharia]

to have your ruling on the point of order raised by me. And on that point of order I am here to make the demand that all those nasty, irresponsible arguments made by Mr. Rajnarain must be expunged. They cannot form part of the records. Therefore I would like to have your ruling and I am here to make the demand that such arguments made by Mr. Rajnarain challenging the conduct of the President should be expunged from the records of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I will examine it.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पाइन्ट आफ आर्डर । मैं आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन का कोई सदस्य यह हक रखता है कि वह सरकार से पूछ सके कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम दक्षिणी राज्यों का क्यो कैंसिल हुआ ? म समझता हू कि पूरा हक रखता है । अगर वह नहीं पूछता है तो वह अपने ससदीय कर्त्तव्य का पालन नही करता है, वह दबा हुआ है, गुलाम संसद सदस्य है । इसलिए मैं अपने हक का इजहार करना चाहता हूं । मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि 26 मई तक का जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम बना था वह 9 मई से आगे क्यो कैंसिल हो रहा है ? अखबारों मे कारण दिया है कि श्रीमती गिरी के मसूढे में दर्द है ।

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmir): Sir, he is again repeating those things.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): No, Mr. Advani, please sit down.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): He is raising another point.

SHRI LAL K. ADVANI: I would like . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): No, no. I am calling Mr. Bhakt Darshan.

SHRI RAJNARAIN: He is on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You please sit down, Mr. Rajnarain.

Yes, Mr. Bhakt Darshan.

THE ARCHITECTS BILL, 1968

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN): Sir, I beg to move :

> "That the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, this Bill was introduced in the Rajya Sabha on the 10th December, 1968. The motion for reference of the Bill to the Joint Committee of the Houses was moved by my senior colleague, Prof. V. K. R. V. Rao, on 15th May, 1969 and it was adopted by this House the same day. The matter was discussed in the Lok Sabha on the 16th May, 1969 and it concurred in the motion the same day.

The Joint Committee held nine sittings in all, and, after having considered all memoranda, representations, and references etc., and having heard a number of witnesses, it submitted its report on the 28th November, 1969; and it is now before this House.

Let me take this first possible opportunity to thank the Chairman and other members of the Joint Committee for their fine Report, which is almost unanimous, as only one member of the Lok Sabha has thought it worth while to append a minute of dissent.

I wish to take this opportunity to refer to some of the more important provisions of the Bill, as amended by the Joint Committee.

The original Bill had visualised the definition of an architect as a person qualified to design and supervise the erection of any building. This definition implied that no person other than